न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **202/2019**
GCMS NO. : **2019/00233**

–: वादी:–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. नेमाराम पुत्र किशनाराम जाति–कुम्हार(प्रजापत) निवासी– मेड़ता सिटी, जिला– नागौर(राज0)।		1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act.

तारीख रजू:.09/10/2019

उपस्थितः– 1. श्री किशोर कुमार कुमावत, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता वादी।
2. राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 25/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तेनी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा गुडा हेमडाई पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा संख्या 1617 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 1618 रकबा 08 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 1619 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमे वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज कास्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। नकल जमाबन्दीया साथ पेश है। उक्त सम्पति वादी के पिता किशनाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण मे वादी के लाड प्यार के एवं घर मे बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी का नाम नेमीचन्द्र पुत्र किशना के नाम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम नेमाराम पुत्र किशनाराम है जो वादी के राजस्थान सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आदि मे भी वादी का नाम नेमाराम पुत्र किशनाराम दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्टी है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे चल रही है तथा इस रोंग एन्टी की जानकारी दिनांक 25/08/2019 को होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्टी को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे वादी [illegible] पुश्तैनी सम्पति मे उक्त रोंग एन्टी एवं रेकर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे वादी अपना सही [illegible] वास्तविक व दस्तावेजी नाम नेमाराम पुत्र किशनाराम से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेसानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरकसरकारी योजनाओ से फायदा नही उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

...न रहा है। जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरूस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारो के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है इसलिए सहखातेदार काश्तकार को प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राज्य सरकार होने से तथा आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 25/08/2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्टी हटाने का कथन करने पर बमुकाम गुडा हेमडाई पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण का बिन्दूवार जवाब दावा निम्नानुसार हैः- बिन्दू संख्या 1. राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम गुड़ा हेमड़ाई सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 141 में खसरा नम्बर 1617, 1618 व 1619 में नेमीचन्द पुत्र किशना नाबालिक की वली गीता बेवा किशना सहखातेदार दर्ज है। बिन्दू संख्या 02 वादपत्र के इस पैरा को सिद्ध करने का भार वादी पर है। बिन्दू संख्या 3. वादपत्र के इस पैरा में वादी का नाम दर्ज एवं ईन्द्राज करना चाहा गया है, जो श्रीमान् से सम्बन्धित है। बिन्दू संख्या 4 से 7 कानूनी बिन्दू है। बिन्दू संख्या 8 प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष श्रीमान् के न्यायालय से सम्बन्धित है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम गुड़ा हेमड़ाई तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1617 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 1618 रकबा 08 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 1619 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा में वादी के पिता के फौत होनें पर फौतदगी नामान्तरण के समय वादी का नाम सहवन से नेमीचन्द पुत्र किशना दर्ज कर दिया गया जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, क्योंकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम नेमाराम पुत्र किशना राम है। अतः त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि नेमीचन्द के स्थान पर सही प्रविष्टि नेमाराम इन्द्राज कि जावें। वादी द्वारा साक्ष्य शपथपत्र PW-1 में वादपत्र के कथनों की पुष्टि कि है। प्रदर्श-P1 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 ग्राम गुड़ाहेमड़ाई में वादग्रस्त आराजी में नामान्तरण संख्या [illegible] दिनांक [illegible].06.2018 द्वारा विरासत से गीता बेवा किशना के स्थान नेमीचन्द पुत्र किशना [illegible] [illegible]जी देवी, टमेटरी पुत्रीयां किशनाराम का अंकन है। प्रदर्श-P2 जमाबन्दी [illegible] सेवरिया से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पांचू, नैना पि0 रामा कौम कुम्हार के नाम दर्ज है, साथ यह प्रविष्टि है कि "फौतदगी नामान्तरण से मिश्रु कालू पि0 पांचू, नेमीचन्द पुत्र किशना नाबालिग वली गीता बेवा किशना कुम्हार" इससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में नेमीचन्द की प्रविष्टि नाबालिग अवस्था में की गई थी तथा ऐसी दशा में दस्तावेजों के अभाव में यह पूर्ण सम्भावना रहती है कि नाबालिग को घरेलू प्रचलित या आम बोलचाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

का नाम वक्त नामान्तरण दर्ज कर दिया जाता है। प्रदर्श–P3A वादी का निर्वाचन पहचान पत्र, प्रदर्श–P4A वादी का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श–P5A भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–P6A आधार कार्ड, प्रदर्श–P7A बैंक पासबुक, में वादी का सही एवं वास्तविक नाम नेमाराम पुत्र किशनाराम दर्ज है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं वादी के शपथ पत्र से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज नेमीचन्द पुत्र किशनाराम तथा वादी नेमाराम पुत्र किशनाराम वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा सही एवं वास्तविक नाम दस्तावेजों के अनुरूप नेमाराम पुत्र किशनाराम है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी में भू अभिलेख में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज प्रविष्टि नेमीचन्द को विलोपित करवाते हुये उसके स्थान पर सही प्रविष्टि नेमाराम दर्ज करवानें एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम गुड़ा हेमड़ाई तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1617 रकबा 14–15 बीघा, ख0नं0 1618 रकबा 08 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 1619 रकबा 10–16 बीघा किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"नेमीचन्द"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"नेमाराम"*** दर्ज करते हुये वादी नेमाराम पुत्र किशनाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीः- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

2. नेमाराम पुत्र किशनाराम जाति- कुम्हार(प्रजापत) निवासी- मेड़ता सिटी, जिला- नागौर(राज0)।

2. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 202/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-........ व हाजरी श्री किशोर कुमार कुमावत, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम गुड़ा हेमड़ाई तहसील जैतारण के खसरा संख्या 1617 रकबा 14-15 बीघा, ख0नं0 1618 रकबा 08 बीघा किस्म बारानी दोयम, ख0नं0 1619 रकबा 10-16 बीघा किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"नेमीचन्द"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"नेमाराम"*** दर्ज करते हुये वादी नेमाराम पुत्र किशनाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-..... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **25/02/2021** को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:50 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	05	00	मिजानः–	–Nil–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:50 IST
Reason: SelfAttested